



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1102]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2014/वैशाख 30, 1936

No. 1102]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2014/VASIAKHA 30, 1936

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 9 मई, 2014

New Delhi, the 9th May, 2014

का.आ. 1330(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii), तारीख 22 फरवरी, 2007 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 262 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और संशोधन करती है अर्थात् :—

**S.O. 1330(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (4) of Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest number S.O. 262 (E), dated the 22nd February, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd February, 2007, with effect from the date of publication in this notification in the Official Gazette, namely:—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (4) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

2. In the said notification, against S.No.(4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“पर्यावरण और वन मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य पंक्ति का अधिकारी”।

“Joint Secretary to the Government of India or an officer of equivalent rank dealing with the subject in the Ministry of Environment and Forests.”.

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सीएस III]

[F. No. J-22018/46/2003-CS III]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

पाद टिप्पण.—मूल नियम का.आ.2662(अ.) तारीख 22 फरवरी, 2007 द्वारा प्राकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 389(अ) तारीख 17 फरवरी, 2010 और संख्यांक का.आ. 3299(अ) तारीख 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए।

**Foot Note:**—The principal notification was published vide number S.O 262 (E) dated the 22nd February, 2007 and subsequently amended vide number S.O. 389(E) dated the 17th February, 2010 and number S.O. 3299 (E) dated the 31st October, 2013.